प्रेस नोट ***22/10/2024***

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत एससी/एसटी एक्ट में 04 दोषसिद्ध अभियुक्त आजीवन कारावास व ₹19,000-19,000 के अर्थदंड से हुये दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एससी/एसटी एक्ट जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 22-10-2024 को मु0अ0सं0 150/2003, धारा 147/149/304/323/325/427/504/506 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना घोसी में दोषसिद्ध अभियुक्तगण जनार्दन यादव पुत्र पावरू यादव, रामवृक्ष पुत्र पावरू यादव, संगी उर्फ़ संतराज पुत्र पावरू यादव, परमा पुत्र झुम्मन यादव निवासीगण विरैया थाना घोसी जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा एवं ₹19,000-19,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सत्येन्द्र नाथ राय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी कमलेश भारती थाना घोसी का सराहनीय योगदान रहा।

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 22.10.2024 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर भातकोल मोड के पास से मु0अ0सं0 279/24 धारा 3(5), 115(2), 352, 351(2), 118(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त नदीम अहमद पुत्र जुल्फीकार अहमद निवासी भातकोल थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

आगामी त्योहारों को लेकर जनपद में शांति/सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में आज दिनांक 22.10.2024 को थाना मुहम्मदाबाद, कोतवाली नगर व रानीपुर आदि थानों में क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारियों द्वारा लक्ष्मी पुजा, गणेश पुजा के प्रतिमा आयोजकों, डीजे संचालकों एवं ज्वेलर्स तथा व्यापारीगणों के साथ गोष्ठी की गयी जिसमें शांति/सुरक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित उनकी समस्याओं को पूछा गया तथा विभिन्न बिन्दुओं पर वार्ता की गयी। इस दौरान विभिन्न आवश्यक दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में अवगत कराते हुये हर समय पुलिस सहायता उपलब्ध कराने हेतु सभी को आश्वस्त किया गया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर, मुहम्मदाबाद, रानीपुर उपस्थित रहे।